यह निरीक्षण प्रतिवेदन चिकित्सा अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, लोहाघाट द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय चिकित्सा अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, लोहाघाट के माह 06/2015 से 02/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री रवि शंकर सहायक, लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री खुशी राम वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 14-03-2018 से 17-03-2018 तक श्री दनिश इकबाल वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री अश्विनी पांडे, AAO एवं श्री अजय कुमार सचान AAO तथा विजय कुमार वरिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा 25/06/2015 से 29/06/2015 तक श्री दानिश इकबाल Sr. A.O. के पर्यवेक्षण मे संपादित किया गया था । जिसमें माह 05/2012 से 05/2015 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 06/2015 से 02/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः

अ-चिकित्सा अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, लोहाघाट मे ओपीडी, टेस्ट, डिलीवरी, अन्य माइनर ओपीडी से संबन्धित कार्य किया जाता है।

ब-चिकित्सा अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, लोहाघाट इकाई का भौगोलिक अधिकार क्षेत्र सम्पूर्ण विकास खंड लोहाघाट है।

अ) विगत तीन वर्षो में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि रू. लाख)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (-) (समर्पण)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2015-16	00	00	271.93	162.47	61.10	61.10	00	109.46
2016-17	00	00	199.54	181.55	68.41	59.41	00	27.01
2017- 18 (Up to Feb. 2018	00	00	391.84	330.26	68.64	57.42	00	72.80

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	अधिक्य (+)	बचत (-)
2015-16	00	00	00	00	00	00
2016-17	00	00	00	00	00	00
2017-02/2018	00	00	00	00	00	00

(ii) इकाई को बजट प्राप्ति के मुख्य स्त्रोत राज्य सरकारव व केंद्र सरकार से है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

1. स्वास्थ्य सचिव 2. महानिदेशक 3. निदेशक 4 मुख्य चिकित्साधिकरी 5 चिकित्सा अधीक्षक।
2. लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में चिकित्सा अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, लोहाघाट को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन चिकित्सा अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, लोहाघाट की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षो पर आधारित है। माह 08/2017 व 08/2016 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। प्रतिचयन अधिकतम व्यय धनराशि के आधार पर किया गया।
3. लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के) कर्तव्य ,शक्तियां तथा सेवा की शर्ते (अधिनियम) 1971 , डी पी सी एक्ट (1971 की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-दो (ब)

प्रस्तर 1- त्रुटिपूर्ण मानव संसाधन प्रबंधन एवं चिकित्सको तथा सहयोगी स्टाफ की कमी के कारण चिकित्सा सेवाओं पर दुषप्रभाव।

चिकित्सा अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ केंद्र लोहाघाट के अन्तर्गत चिकित्सक एवं सहयोगी स्टाफ तथा प्रशासनिक कर्मचरियों के 76 पद स्वीकृत थे, जिसके सापेक्ष 42 चिकित्सक एवं सहयोगी स्टाफ तथा प्रशासनिक कर्मचरियों की तैनाती थी तथा 34 पद रिक्त थे। रिक्त पदो का विवरण निम्नवत था-

क्रं सं	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त पद
1	निश्चेतक	1	0	1
2	बालरोग विशेषज्ञ	1	0	1
3	मेडिकल ऑफिसर -1	1	1	0
4	मेडिकल ऑफिसर -2	1	0	1
5	जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर	1	0	1
6	दन्त चिकित्सक	1	0	1
7	हेल्थ इन्फॉर्मेशन ऑफिसर	1	0	1
8	लैब टेकनीशियन	2	0	2
9	एक्सरे टेकनीशियन	1	0	1
10	डार्क रूम सहायक	1	0	1
11	डैंटल हाइजिनिस्ट	1	0	1
12	अन्वेषक सहायक संगणक	1	0	1
13	हेल्थ सुपर वाईजर (एचबी)	4	0	4
14	सेनेटरी इस्पेक्टर	1	0	1
15	एम॰पी॰डबल्यू॰	6	0	6
16	ए॰एन॰एम॰	16	13	3
17	वाहन चालक	2	1	1
18	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	14	8	6
		56	23	33

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि चिकित्सा अधीक्षक सामुदायिक स्वास्थ केंद्र लोहाघाट, चंपावत कार्यालय मे चिकित्सको एवं सहयोगी स्टाफ तथा प्राशासनिक स्टाफ के अधिकांश पद रिक्त जो त्रुटिपूर्ण मानव संसाधन प्रबन्धन का परिचायक था। (पदवार विस्तृत विवरण संलगन)।

चिकित्सको एवं सहयोगी स्टाफ तथा प्राशासनिक स्टाफ के 34 पद (45%) रिक्त थे। पदो के रिक्त रहने के कारण स्वास्थ्य सेवाओं पर एवं सरकारी योजनाएँ के संचालन तथा अनुश्रवण के कार्यों मे बाधा व कठिनाई होना स्वाभाविक था तथा स्थानीय जनता को मिलने वाले स्वास्थ्य सेवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता, जो त्रुटिपूर्ण मानव संसाधन प्रबन्धन का परिचायक था।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित करने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर मे बताया कि पदो के रिक्त रहने के कारण स्वास्थ्य सेवाओ पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है तथा स्थानीय जनता को भी कठिनाईयो का सामना करना पडता है। इस प्रकार इकाई का उत्तर स्वतः ही लेखा परीक्षा आपत्ति कि पुष्टि करता है।

अतः प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

भाग -III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
45/2015-16	शून्य	1	शून्य

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
45/2015-16	----------	अप्रस्तुत --------		इकाई द्वारा अनुपालन आख्या उच्च अधिकारी की अनुशंसा सहित प्रस्तुत नही की।

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार(लेखा परीक्षा) उत्तराखंड)लेखापरीक्षा (उत्क्षा अवधि में दे अवस्थापना)लेखापरीक्षा) (लेखापरीक्षा) वत संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु चिकित्सा अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, लोहाघाट तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।
2. लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

(i) अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या ।

(ii) राज॰ अलोपैथिक चिकि॰ चौमेल के अभिलेख।

3. सतत् अनियमितताए

(i) शून्य

4. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्र. सं.	नाम	पद नाम	अवधि
1	डा॰ एस॰ जफर	चिकित्सा अधीक्षक	05/2015से 09.09.2015
2	डा॰ मंजीत	चिकित्सा अधीक्षक	10.09.2015से 06/2017
3	डा॰ वी॰ के॰ जोशी	चिकित्सा अधीक्षक	06/2017से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति चिकित्सा अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, लोहाघाट को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि वह इस पत्र की अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार सामाजिक क्षेत्र को प्रेषित कर दे।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.